



राजस्थान सरकार

निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण,

विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राजस्थान) 302005

ईमेल - dir-pen-rj@nic.in दूरभाष न. 0141-2740538, 2741687

वेबसाइट :- rajpension.nic.in, pension.raj.nic.in



क्रमांक :- प.5(311) निपेवि/नियम/ 2019/पार्ट II/

दिनांक :-

परिपत्र

समस्त विभागाध्यक्ष,

.....

पेंशन कुलक के ऑनलाईन/सरलीकरण हेतु वित्त विभाग के निर्देशों की पालना में विकसित किये गये मोड्यूल से ही 01.07.2022 से सभी नवीन पेंशन प्रकरण स्वीकार किये जायेंगे एवं ई-पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से ही निस्तारित किये जायेंगे। अतः कृपया सभी विभागाध्यक्ष 01.07.2022 एवं उसके पश्चात समस्त नवीन पेंशन प्रकरणों को पेंशन विभाग की वेबसाइट www.pension.raj.nic.in पर ई-पेंशन मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाईन ही भिजवाना सुनिश्चित कराने का श्रम करें। साथ ही निवेदन है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों के पेंशन प्रकरणों को भी उपरोक्तानुसार ऑनलाईन ही भिजवाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का श्रम करें।

ऑनलाईन पेंशन आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रियात्मक जानकारी यूजर मनुअल (User Manual) के रूप में इस विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में तकनीकी प्रशिक्षण सभी विभागों को पेंशन निदेशालय द्वारा दिया जा चुका है।

पारिवारिक पेंशन प्रकरण, प्रोविजनल पेंशन प्रकरण एवं संशोधित (Revision) पेंशन प्रकरण पूर्व की भाँति ऑफलाईन ही भिजवाये जायें।

(संजय सोलंकी)

निदेशक

क्रमांक :- प.5(311) निपेवि/नियम/ 2019/पार्ट II/1895 - H
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 20-06-22

1. शासन सचिव वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (पेंशन) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)/ (मुख्यालय)/ (नियम) कार्यालय हाजा।
4. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर अजमेर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर।
5. उप महानिदेशक/वरिष्ठ उपनिदेशक एन.आई.सी.।
6. उप निदेशक कम्प्यूटर शाखा कार्या. हाजा।
7. निजी सचिव निदेशक पेंशन कार्या. हाजा।

अतिरिक्त निदेशक (नियम)